

# Bihar Bihar Niyojit Shikshak Sakshamta Pariksha 2024

## Exam Pattern / Syllabus

ResultBharat.com

### 2. सरचना :

क. सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।

ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

### 3. परीक्षा के विषय :

राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाये जाने वाले सभी विषय। इनका विवरण निम्नवत् है :-

(क) प्राथमिक विद्यालय के (कक्षा 1-5) शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड			(ख) मध्य विद्यालय के (कक्षा 6-8) शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड					
क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड	क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड			
1.	भाषा एवं सामान्य विषय	301	1.	हिन्दी	401			
प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिन्दी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी।			2.	अंग्रेजी	402			
			3.	संस्कृत	403			
			4.	उर्दू	404			
			5.	गणित एवं विज्ञान	405			
			6.	समाजिक विज्ञान	406			
			7.	शारीरिक शिक्षा	407			
			(ग) माध्यमिक विद्यालय के (कक्षा 9-10) शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड					
क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड	क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड	क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड
1.	हिन्दी	101	7.	फारसी	107	13.	शारीरिक शिक्षा	113
2.	उर्दू	102	8.	भोजपुरी	108	14.	संगीत विषय	114
3.	बांग्ला	103	9.	अंग्रेजी	109	15.	ललित कला	115
4.	मैथिली	104	10.	गणित	110	16.	नृत्य विषय	116
5.	संस्कृत	105	11.	विज्ञान	111	17.	पुस्तकालय विज्ञान	117
6.	अरबी	106	12.	समाज विज्ञान	112		-	

(घ) उच्च माध्यमिक विद्यालय के (कक्षा 11-12) शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड								
क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड	क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड	क्र० सं०	शिक्षकों के विषय	विषय कोड
1.	हिन्दी	201	13.	गणित	213	25.	इतिहास	225
2.	उर्दू	202	14.	भौतिक विज्ञान	214	26.	कम्प्यूटर साईंस	226
3.	अंग्रेजी	203	15.	रसायनशास्त्र	215	27.	संगीत	227
4.	संस्कृत	204	16.	जन्तु विज्ञान	216	28.	वाणिज्य	228
5.	बांग्ला	205	17.	वनस्पति विज्ञान	217	29.	बिजनेस स्टेण्ड्रीज	229
6.	मैथिली	206	18.	भूगोल	218	30.	एकाउंटेंसी	230
7.	मगही	207	19.	राजनीतिशास्त्र	219	31.	इन्टरप्रेनियोरेशिप	231
8.	अरबी	208	20.	समाजशास्त्र	220			
9.	फारसी	209	21.	अर्थशास्त्र	221			
10.	भोजपुरी	210	22.	दर्शनशास्त्र	222			
11.	पाली	211	23.	मनोविज्ञान	223			
12.	प्राकृत	212	24.	गृहविज्ञान	224			

4. **पाठ्यक्रम :**

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE-1/ TRE-2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम।

5. **प्रश्नपत्र पैटर्न :**

सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत् होगा :-

क्र० सं०	अध्यापक की श्रेणी	प्रश्नों की संख्या	प्रश्नों का वितरण	प्रश्नों की संख्या
1.	कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1(भाषा)	30 प्रश्न
			भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
			भाग-3 (सामान्य विषय)	80 प्रश्न
2.	कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1( भाषा)	30 प्रश्न
			भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
			भाग-3( संबंधित विषय)	80 प्रश्न
3.	कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1( भाषा)	30 प्रश्न
			भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
			भाग-3( संबंधित विषय)	80 प्रश्न
4.	कक्षा 11 एवं 12 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1( भाषा)	30 प्रश्न
			भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
			भाग-3( संबंधित विषय)	80 प्रश्न

6. **अर्हता :**

स्थानीय निकाओं द्वारा राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक (शारीरिक शिक्षक सहित)/पुस्तकालयाध्यक्ष।

7. **परीक्षा शुल्क :** सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क - 1100/- ₹०

8. **परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि :**

सक्षमता परीक्षा Computer Based Test (CBT) के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी।

9. **उत्तीर्णांक :**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत् होगा :-

क्र.सं.	कोटि	उत्तीर्णांक
1.	सामान्य (General)	40% अंक
2.	पिछड़ा वर्ग (BC)	36.5% अंक
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC)	34% अंक

4.	अनु0जाति / अनु0जनजाति (SC/ST)	32% अंक
5.	दिव्यांग (Differently Abled)	32% अंक
6.	महिला (Female)	32% अंक

**10. प्रमाण-पत्र :**

- सक्षमता परीक्षा, 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. परीक्षा फार्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु तीन जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा।
12. शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन Submit करने के उपरान्त संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के Login में जाएगा। तत्पश्चात, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जॉचोपरान्त इसे अन्तिम रूप से Submit किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) का Digital हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है।
13. परीक्षा फार्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खास कर पिता/पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरान्त Submit किया जाएगा।
14. परीक्षा देने के पश्चात् मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दुबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा।
15. सक्षमता परीक्षा फरवरी, 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, जिसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित के माध्यम से दी जाएगी।
16. समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा माह- दिसम्बर, 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।
17. वैसे शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कम्प्यूटर पर आवश्यक Practice करने की सलाह दी जाती है। यह Practice नजदीकी विद्यालय के ICT Lab में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7.30 बजे से 9.30 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कम्प्यूटर संस्थान में भी Practice कर सकते हैं।
18. सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व कॉउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी तथा Thumb Impression एवं Iris Recognition का मिलान किया जाएगा।
19. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय/शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र Submit नहीं हो सके।
20. यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित व कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक/व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे एवं वर्तमान में नियोजन मुक्त/सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं।
21. शिक्षकों द्वारा अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने मात्र से परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता की संपुष्टि नहीं होगी।
22. परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन व प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात शिक्षक के सेवा काल में यदि किसी भी समय





- यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था, तो उसका अभ्यर्थित्व, परीक्षाफल एवं प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
23. निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ जिस इच्छुक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के माध्यम से समिति को प्राप्त नहीं होगा उसका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
24. **नॉर्मलाइजेशन (Normalization) :**
- (क) Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएँ, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों (Sittings)/ तिथियों (Dates) में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग-अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग-अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व Normalization की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी Normalization विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।
- (ख) Normalization की प्रक्रिया के उपरान्त अभ्यर्थी का जो भी Normalized Score होगा, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक (Normalised Score) के आधार पर कंडिका संख्या-9 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि Raw Score (Raw Score = सही प्रश्नों के आधार पर प्राप्त अंक) के आधार पर।
- (ग) उदाहरणस्वरूप; किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में Raw Score 61 है तथा Normalization प्रक्रिया के उपरान्त उसका Normalized Score 59.10 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक (150 का 40% = 60) प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा।
- (घ) यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किन्तु Normalization की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में Normalization Score में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है।